इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 189] भोपाल, शनिवार, दिनांक 23 अप्रैल 2016—वैशाख 3, शक 1938

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2016

क्रमांक-बी-8-5-2016-चौदह-2.—भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक 13015-03-2016-क्रेडिट II, दिनांक 23 फरवरी 2016 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत वर्ष 2016-17 मौसम खरीफ एवं रबी के लिये संलग्न सूची अनुसार जिलों के समक्ष दर्शाई गई फसलों के लिये परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

1. यह योजना भारत सरकार के पत्र कमांक 13015/03/2016 केडिट–11, दिनांक 23 फरवरी 2016 के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य के अधिसूचित जिलों की अधिसूचित जिलों/तहसीलों/पटवारी हल्कों में अधिसूचित फसलों के लिये कार्यान्वित की जावेगी ।
2. यह योजना अधिसूचित क्षेत्र की अधिसूचित फसलों हेतु ऋणी कृषकों के लिये अनिवार्य एवं अऋणी कृषकों के लिये ऐच्छिक है ।
3. खरीफ का मौसम 1 मई से 16 अगस्त तक है । इसके मध्य अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों के लिये वितरित फसलवार ऋणी कृषकों का जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित अल्पावधि ऋणमान (स्केल ऑफ फायनेन्स) का 100 प्रतिशत बीमा होना अनिवार्य है । जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा 30 अप्रैल 2016 की स्थिति में निर्धारित अल्पावधि ऋणमान (स्केल ऑफ फायनेन्स) वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिये जो भी उपलब्ध होगा, वही मान्य होगा एवं अपरिवर्तित रहेगा । ऋणी एवं अऋणी कृषकों हेतु बीमित राशि समान होगी ।
4. कृषकों हेतु प्रीमियम दर मौसम खरीफ में समस्त अनाज तिलहन एवं दलहन फसलों के लिये बीमित राशि का 2.0 प्रतिशत या वास्तविक दर जो भी कम हो तथा मौसम रबी में समस्त अनाज, तिलहन एवं दलहन फसलों के लिये बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत या वास्तविक दर जो भी कम हो लागू होगी । कपास फसल के लिये प्रीमियम दर 5 प्रतिशत या वास्तविक दर, जो भी कम हो लागू होगी।
5. म.प्र.राज्य में सभी बीमित अधिसूचित फसलों के लिये ऋणी एवं अऋणी कृषकों हेतु क्षतिपूर्ति स्तर 80 प्रतिशत होगा ।
6. राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कियान्वयन के लिये निम्नानुसार जिलों के 5 क्लस्टर निर्धारित किये जाते है ।

क्लस्टर	संभाग	जिले
ए	उज्जैन, शहडोल	उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, शाजापुर, देवास, आगर मालवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया
बी	इंदौर, नर्मदापुरम,	इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खण्डवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, हरदा, होशंगाबाद, बैतूल
सी	सागर ग्वालियर	सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, दतिया, अशोकनगर,
डी	जबलपुर, रीवा,	जबलपुर, कटनी, मण्डला, बालाघाट, छिदंवाड़ा, नरसिंहपुर, डिण्डोरी, सिवनी, रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली
ई	भोपाल, चंबल	भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, मुरैना, श्योपुर कलां भिण्ड,

7. दावा राशि की गणना निम्नानुसार सूत्र के आधार पर की जावेगी ।

$$\text{दावा राशि} = \frac{(\text{थ्रेश होल्ड उपज} - \text{वास्तविक उपज})}{\text{थ्रेश होल्ड उपज}} \times \text{बीमित राशि}$$

वास्तविक उपज की गणना फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त परिणामों के आधार पर की जावेगी । थ्रेश होल्ड उपज की गणना अधिसूचित इकाई में अधिसूचित फसल के लिये पिछले 7 वर्षो के उत्पादकता के आंकड़ों के आधार पर की जावेगी, किन्तु शासन द्वारा म0प्र0 राज्य के लिये वर्ष खरीफ मौसम हेतु 2013 एवं 2015 एवं रबी मौसम में 2012–13 एवं 2013–14 को आपदा वर्ष घोषित किया गया है । इस स्थिति में 2 आपदा वर्षो को विलोपित कर शेष 5 वर्षो के आंकड़ों के औसत उपज के आधार पर थ्रेश होल्ड उपज की गणना की जावेगी । मूंग एवं उड़द हेतु आपदा वर्ष लागू नहीं होगें एवं थ्रेश होल्ड उपज की गणना पिछले 3 वर्षो के आंकड़ों के आधार पर की जावेगी ।

8. यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र जिला/तहसील/पटवारी हल्कों में निर्धारित संख्या में फसल कटाई प्रयोग नहीं होते हैं या औसत पैदावार के आंकडे प्राप्त नहीं होते हैं, तो उस इकाई के उच्चतर इकाई की औसत पैदावार के आंकडों के आधार पर दावों का आंकलन किया जायेगा ।

9. राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति के अनुसार योजना के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों की अंतिम तिथियां निम्नानुसार घोषित की जाती है :–

क्र	गतिविधि	खरीफ	रबी
1	ऋण लेने की अवधि एवं अऋणि किसानों से प्रस्ताव प्राप्त होने की अंतिम तिथि	1 मई से 16 अगस्त	15 सितंबर से 15 जनवरी
2	किसानों के खातों से कटे प्रीमियम काटने Dedit from farmers account को बीमा कंपनी को जमा कराने की अंतिम तिथि	ऋणी कृषकों के लिए 15 सितंबर एवं अऋणी कृषकों के लिए 22 अगस्त	ऋणी कृषकों के लिए 15 फरवरी एवं अऋणी कृषकों के लिए 22 जनवरी
3	बैंकों से एकजाई घोषणा पत्र प्रस्ताव बीमा कंपनी को प्राप्त होने की अंतिम तिथि	30 सितंबर	28 फरवरी
4	बैंकों द्वारा कृषकों की जानकारी सॉफ्ट कॉपी फसल बीमा पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तिथि	30 सितंबर	28 फरवरी
5	फसल कटाई प्रयोग परिणाम प्राप्त होने की अंतिम तिथि (संबंधित अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा शासन की वेबसाईड पर आंकड़े अपलोड किये जायेगें)	31 जनवरी सभी फसलों हेतु एवं तुअर कपास के लिए 31 मई	30 जून
6	अंतिम दावा वितरण	उपज आंकड़े प्राप्त होने के 3 सप्ताह के अंदर	

10. योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित फसल अवस्थाओं पर अधिसूचित फसलों हेतु अधिसूचित क्षेत्र में फसल क्षति जोखिम आवरित किये जाते है ।

i बुआई/रोपाई/अंकुरण नष्ट होने का जोखिमः– अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसलों में वर्षा की कमी या विपरित मौसमी परिस्थितियों के कारण बुआई/रोपाई/अंकुरण नष्ट होगा ।

ii फसल मौसम में मध्य में हानिः– खड़ी फसल (बुआई से कटाई तक) की अवस्था मेंः– सूखा, सूखा अंतराल, बाढ़, जलप्लावन, कीट व्याधि, भूस्खलन, प्राकृतिक आगजनी, बिजली गिरना, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, आंधी, बवंडर आदि के कारण उत्पन्न जोखिम फसल हानि ।

iii कटाई उपरांत क्षतिः– कटाई के उपरांत खेत में कटी हुई एवं बिना बंधी फैली हुई फसल के कटाई के 14 दिवस के भीतर चक्रवात, चक्रवाती वर्षा एवं बेमौसम वर्षा के कारण फसल क्षति ।

iv क्षेत्रीय आपदाः– क्षेत्रीय आपदा जिसमें ओलावृष्टि, भूस्खलन एवं जलप्लावन के कारण उत्पन्न जोखिम से फसल क्षति ।

11. बुआई/रोपाई/अंकुरण नष्ट होने की स्थिति में अधिसूचित क्षेत्र की अधिसूचित फसल के कुल रकबे के 75 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त होने पर बिन्दु कमांक 9–(i) में आवरित जोखिम लागू होगा । म0प्र0राज्य में अधिसूचित फसलों हेतु बीमित इकाईवार एवं फसलवार सामान्य बुआई का रकबा जिला कलेक्टर द्वारा फसल मौसम के प्रारंभ के 15 दिनों के अंदर संबंधित बीमा कंपनी को उपलब्ध करायेगें तथा जिलावार एवं फसलवार बोनी की अवधि एवं अंतिम तिथि फसल मौसम के पूर्व संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा अधिसूचित किये जायेगें ।

इस प्रावधान अन्तर्गत प्रभावित बीमित इकाई में दावा राशि भुगतान होने पर बीमा स्वतः निरस्त हो जावेगा तथा इसके उपरान्त संबंधित बीमित इकाई में संबंधित फसल के लिये अन्य कोई दावा मान्य नहीं होगा ।

12. फसल अवस्था के बीच में बिन्दु कमांक 9– ii के अनुसार फसल क्षति होने पर यदि बीमित इकाई में वास्तविक उपज थ्रेशहोल्ड उपज की 50 प्रतिशत से कम आने की संभावना होने पर यह प्रावधान लागू होगा । क्षति का आंकलन जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति करेगी एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मार्गदर्शी निर्देश xii - c & d के अनुसार क्रियान्वयन एजेन्सी (बीमा कंपनी) के माध्यम से दावा भुगतान सुनिश्चित करेगी । इस प्रावधान अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/बी–8–5/2016/14–1, भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2016 द्वारा जारी आदेशानुसार संबंधित जिले की मूल्यांकन समिति निम्नानुसार होगी तथा योजना के सुचारु क्रियान्वयन हेतु अधिसूचित बीमा कंपनी जिला कलेक्टर के अध्यक्षता में गठित समिति के मार्गदर्शन में कार्य करेगी तथा संबंधित कंपनी के द्वारा योजना के प्रचार–प्रसार का कार्य जिले में किया जायेगा ।

कमांक		
1	कलेक्टर	अध्यक्ष
2	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत	सदस्य
3	अतिरिक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर राजस्व	सदस्य सचिव
4	उप संचालक कृषि	सदस्य
5	परियोजना संचालक आत्मा	सदस्य
6	उप संचालक/सहायक संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी	सदस्य
7	जिला योजना अधिकारी	सदस्य
8	उपायुक्त सहकारिता	सदस्य
9	अधीक्षक भू–अभिलेख	सदस्य
10	महाप्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक	सदस्य
11	जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड	सदस्य
12	कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रतिनिधि	सदस्य
13	जिला लीड बैंक अधिकारी	सदस्य
14	प्रतिनिधि कियान्वयन एजेन्सी (फसल बीमा के लिये अधिकृत एजेन्सी)	सदस्य

ऑन अकाउन्ट भुगतान निम्नानुसार सूत्र के आधार पर किया जावेगा ।

$$\text{दावा राशि} = \frac{(\text{थ्रेश होल्ड उपज} - \text{अनुमानित उपज})}{\text{थ्रेश होल्ड उपज}} \times \text{बीमित राशि का 25 \% (अधिकतम)}$$

13. कटाई उपरान्त फसल क्षति का अवरण एकल प्लाट/फार्म इकाई आधार पर बिन्दु कमांक 9– i i i अनुसार सभी बीमित फसलों के लिये होगा । आपदा की स्थिति में कृषक द्वारा 72 घंटे के अन्दर क्रियान्वयन एजेन्सी/जिला प्रशासन/राजस्व विभाग/कृषि विभाग क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा स्थापित टोल फ्री नंबर पर सूचना दी जावेगी । इस प्रावधान अंतर्गत क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा 48 घण्टों के भीतर क्षति आंकलन प्रतिनिधि नियुक्त किये जावेगें । यदि अधिसूचित क्षेत्र की अधिसूचित फसल का प्रभावित क्षेत्र कुल क्षेत्र के 25 प्रतिशत से अधिक होने पर पूर्ण बीमित इकाई को प्रभावित माना जावेगा एवं 25 प्रतिशत से कम होने पर प्रभावित कृषकों की पृथक–पृथक क्षति आंकलित कर दावा राशि की गणना की जावेगी ।

14. क्षेत्रीय आपदा की स्थिति में बिन्दु कमांक 9–iv के अनुसार बीमा आवरित होगा । यदि किसी अधिसूचित इकाई में अधिसूचित फसल क्षति का रकबा 25 प्रतिशत से अधिक होने पर पूर्ण बीमित इकाई को प्रभावित माना जावेगा तथा 25 प्रतिशत से कम होने पर एकल फार्म/कृषक स्तर पर क्षति की गणना की जावेगी । क्षति का प्रतिशत संयुक्त समिति द्वारा निर्धारित सेम्पल सर्वे के आधार पर की जावेगी । आपदा की स्थिति में कृषक द्वारा 72 घंटों के भीतर बीमा कम्पनी/संबंधित बैंक/क्षेत्रीय कृषि विभाग/राजस्व विभाग/जिला प्रशासन या बीमा कम्पनी द्वारा स्थापित टोल फ्री नंबर पर की जावेगी । क्षति के आंकलन हेतु बीमा कम्पनी/क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा क्षति आंकलन प्रतिनिधि नियुक्त किये जावेगें ।
15. ऋणी कृषकों के लिये प्रीमियम राशि अतिरिक्त ऋण के तौर पर स्वीकृत की जानी चाहिये जो कि बीमित राशि से अतिरिक्त होगी ।
16. मौसम के दौरान कृषक को वास्तविक तौर पर ऋण स्वीकृत किया जाना चाहिये ना कि कृषक द्वारा पूर्व में लिया गया ऋण जो कि चुकता नहीं किया गया हो, उसका बुक समायोजन नहीं किया जायेगा तथा सीजन विशेष हेतु स्वीकृत ऋण अनुसार ही कृषक के खाते से प्रीमियम काटकर बीमांकन किया जायेगा ।
17. बैंक द्वारा बीमांकन के लिये प्रीमियम राशि फसल मौसम के अनुसार ही निर्धारित की गई तिथि के अंदर काटी जावेगी । खरीफ एवं रबी के लिये प्रीमियम राशि पृथक–पृथक काटी जावेगी ।
18. राज्य में अधिसूचित बीमित इकाई एवं फसलों के अनुसार पटवारी हल्का स्तर पर प्रमुख फसलों के 4, तहसील स्तर पर 16 एवं जिला स्तर पर 24 फसल कटाई प्रयोग राजस्व विभाग द्वारा आयोजित किये जावेगें ।
19. बुआई/रोपाई/अंकुरण नष्ट होने की स्थिति से इतर अन्य जोखिमों में तात्कालिक राहत/दावा राशि भुगतान होने पर, अंतिम वास्तविक उत्पादकता परिणाम के आधार पर बने अंतिम दावा राशि में समायोजन किया जावेगा । अंतिम दावा राशि अधिक होने पर तात्कालिक राहत राशि/दावा को अंतिम दावा राशि से घटाकर शेष भुगतान किया जावेगा एवं कम होने पर कृषक से कोई वसूली नहीं की जावेगी ।
20. राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति के निर्णयानुसार अधिसूचित क्षेत्र की अधिसूचित फसल हेतु वास्तविक उपज के आंकड़ें व बोया गया रकबा राजस्व विभाग द्वारा शासन की वेबसाइड पर अंतिम दिनांक तक अपलोड किये जा सकेगें, वे ही मान्य होगें ।
21. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मार्गदर्शी निर्देशिका के बिन्दु कमांक XXIV-4-M के अनुसार "योजना के तहत यदि नोडल बैंक/शाखा/पी.ए.सी.एस की गलतियों/विलोपनों/कमीशन के कारण किसान फसल बीमा के लाभ से वंचित रहता है, तो संबंधित वित्तीय संस्थाऐं ही ऐसी हानियों की भरपाई करेगी ।
22. प्रदेश में खरीफ मौसम में धान सिंचित, धान असिंचित, बाजरा, मक्का, तुअर, सोयाबीन को पटवारी हल्का स्तर पर, ज्वार, कोदो–कुटकी, मूंगफली तिल, कपास, को तहसील स्तर पर एवं मूंग उड़द को जिला स्तर पर परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है । रबी मौसम में गेहूं सिंचित,गेहूं असिंचित, चना, राई–सरसों को पटवारी हल्का स्तर पर, अलसी को तहसील स्तर पर एवं मसूर को जिला स्तर पर परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है । म0प्र0राज्य में निम्नलिखित जिलों के समक्ष दर्शाई गई फसलों हेतु परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है ।
23. योजना के संबंधित अन्य दिशा–निर्देशों के लिये भारत शासन द्वारा जारी मार्गदर्शिका संचालन पद्धतियों का अनुपालन करेंगें ।